न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डिंडोरी

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload 13/02/2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

SAR 24/14-15 .... विभाग

रजिस्टर सं० ....

हीरा साय नावरन सिंह

CHCTACH

	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या			टिप्पणी
	२	३	४	५	६	७
						04-6-17
					9-1-19	19.7.17
			22.4.20	13-2-019		21.8.17
			03/04/21	13-3-019		
			17/3/21	19-6-19		13-9-17
			9-06-2021			
			8/9/2021	7-8-19		18-10-17
			23/10/21			25-11-17
			22-12-2021	25-5-15		10.1.18
			22/2/22			
			12/4/22	15.1.20		7.2.18
			21/6/22			7.3.18
			26/7/22			11.4.18
			2/9/22			
			23-10-22			30.5.18
						11.7.18
						5.9.18

Scanned with CamScanner

दिनांक............

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक--ता0..से ....तक हीरा साव

जिला--सिमडेगा, संख्या.. SAR 24 /2014-15

केस का प्रकारः-- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम भगवत सिंह

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
28-6-2014	श्री......हीरा साव. पिता......स्व० मनराज साव साकिन.... डुमरडीह ......थाना.. कुरडेग जिला--सिमडेगा ने आवेदन--पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी.... भगवत सिंह पिता स्व० सतन सिंह साकिन--..... ढुकुपानी ....थाना..... ठेठईटांगर जिला--सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। ग्राम: कुरडेग — खाता सं0: 250 — प्लॉट सं0: 2656 — रकवा: 0·75 एकड़ उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 18-7-2014 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	28·9-15 22·5·17 14-6-17

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 24/2014–15
दिनांक............................

हीरा साय
बनाम
भगवत सिंह

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक हीरा साय, पिता–स्व0 मनराज साय, साकिन–डुमरडीह, थाना–कुरडेग, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी भगवत सिंह, पिता–स्व0 सतन सिंह, साकिन–टुकुपानी, थाना–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–24/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कुरडेग	255	2656	0.75 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कुरडेग को इस न्यायालय के पत्रांक 159/विधि, दिनांक 04.07.2014 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, कुरडेग के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हेाता है कि आवेदक हीरा साय, पिता–स्व0 मनराज साय, साकिन–डुमरडीह, थाना–कुरडेग, जिला–सिमडेगा ने दिनांक 24.09.2014 को न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र समर्पित किया जिसमें उल्लेखित किया है कि मौजा–डुमरडीह, थाना–कुरडेग के खाता नं0–250, प्लॉट नं0–2656, रकबा–0.75 एकड़ जमीन वापसी हेतु आवेदन दिये है अनपढ़ होने की वजह से प्लॉट नं0 गलत दिया गया है। सही प्लॉट नं0–1516 है। प्लॉट नं0–2656 को सुधार कर प्लॉट नं0–1516 करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 19.07.2017 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। आवेदक द्वारा गलत प्लॉट सं0 दिये जाने के कारण वाद सं0–24/2014–15 को खारिज किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि नये सिरे से बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अन्तर्गत वाद न्यायालय में दायर करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 17:56:55 +05:30
Location: 192.168.202.80

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner